

255
92
(50)
(13)

मध्यप्रदेश शासन
लोक निर्माण विभाग, मंत्रालय

क. /एफ-41/1/19/यो/0 भोपाल, दिनांक 31/10/2005

प्रति

1. प्रमुख अभियन्ता
लोक निर्माण विभाग
भोपाल
2. प्रबन्ध संचालक
म.प्र. सड़क विकास निगम
भोपाल ।
3. समस्त मुख्य अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग
..... (म.प्र.)

विषय:- सड़क मार्गों में वर्तमान अनुबंधों के अन्तर्गत परफारमेंसे गारंटी को समाप्त किया जाना ।

लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत कुछ राज्यमार्गों पर विभिन्न योजनाओं में किये गये कार्यों की परफारमेंसे व मेंटेनेन्स गारंटी की अवधि वर्तमान में चल रही है । राज्य शासन अब इनमें से कुछ राज्य मार्गों पर अन्य योजनाओं के अन्तर्गत पुनः उन्नयन का कार्य करना चाहता है ।

अतः इन मार्गों में प्रचलित परफारमेंस गारंटी की समाप्त की जाकर ही इन सड़कों पर स्तर उन्नयन के कार्य किये जावेंगे । परफारमेंस गारंटी समाप्त करने हेतु दो विकल्पों पर विचार किया गया, जिस पर ठेकेदारों से उक्त शेष गारंटी की अवधि हेतु कुछ राशि शासन वसूल करें तथा शेष परफारमेंस गारंटी ठेकेदार को वापिस की जावे ।





विकल्प क.1

प्रकरण क.1 : राजमार्ग जिनकी परफारमेन्स गारंटी 3 वर्ष की है

विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत मार्गों में 3 वर्ष गारंटी अवधि में कुछ सुधार कार्य वार्षिक संधारण प्रकार के किया जाना होता है। जो अवधि परफारमेन्स गारंटी अवधि की बीत चुकी है उसमें यह माना जावेगा कि ठेकेदार ने कुछ राशि का कार्य किया है एवं शेष अवधि में जो कार्य परफारमेन्स गारंटी में किया जाना शेष रह जाता है, उस हेतु निम्न टेबल क्रमांक-1 के अनुसार राशि वसूली की जावे एवं परफारमेन्स गारंटी की शेष राशि ठेकेदार को विमुक्त की जावे।

टेबल - 1

पूर्ण किये गये वर्ष (वास्तविक पूर्णता की तिथि)	वसूली जाने वाली राशि (कुल परफारमेन्स गारंटी राशि का प्रतिशत)	विमुक्त की जाने वाली राशि (कुल परफारमेन्स गारंटी राशि का प्रतिशत)
प्रथम वर्ष तक	60 प्रतिशत	40 प्रतिशत
1 से 2 वर्ष तक	40 प्रतिशत	60 प्रतिशत
2 से 3 वर्ष तक	20 प्रतिशत	80 प्रतिशत
3 वर्ष से अधिक	0 प्रतिशत	100 प्रतिशत

प्रकरण क.2 : राज्यमार्ग जिनकी परफारमेन्स गारंटी अवधि 3 वर्ष से अधिक (अर्थात् 5 वर्ष) हो।

जहां 5 वर्ष की परफारमेन्स गारंटी हो वहां परफारमेन्स गारंटी में से वसूली एवं विमुक्त की जाने वाली राशि टेबल क्रमांक-2 के अनुसार होगी।

3

257

टेबल - 2

पूर्ण किये गये वर्ष (वास्तविक पूर्णता की तिथि)	वसूली जाने वाली राशि (कुल परफारमेन्स गारंटी राशि का प्रतिशत)	विमुक्त की जाने वाली राशि (कुल परफारमेन्स गारंटी राशि का प्रतिशत)
प्रथम वर्ष तक	60 प्रतिशत	40 प्रतिशत
1 से 2 वर्ष तक	50 प्रतिशत	50 प्रतिशत
2 से 3 वर्ष तक	40 प्रतिशत	60 प्रतिशत
3 वर्ष से अधिक	30 प्रतिशत	70 प्रतिशत
4 से 5 वर्ष तक	20 प्रतिशत	80 प्रतिशत
5 से अधिक	0 प्रतिशत	100 प्रतिशत


विकल क्रमांक - 2

परफारमेन्स गारंटी की 3 एवं 5 वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय विकल्प यह है कि भारत शासन के राजमार्ग एवं परिवहन मंत्रालय के प्रपत्र क्रमांक **RW/NH/11308/2/97/DOI** दिनांक 4-5-2001 के द्वारा संघारण हेतु निर्धारित मापदण्ड के आधार पर शेष अवधि के लिए राशि ठेकेदार से वसूल की जावे । इसमें विभिन्न योजनाओं में किये गये कार्यों एवं संघारण की आवश्यकताओं के आधार पर जो राशि वसूल की जाना है उनकी गणना विभिन्न योजनाओं में किये गये कार्यों, मार्ग की चौड़ाई आदि के आधार पर की गई है जिसकी विवरण निम्नानुसार है :-

प्रकरण क.1 : 3 वर्ष की परफारमेन्स गारंटी

इस हेतु वसूल की जाने वाली राशि आदि टेबल क्रमांक 3 में वर्णित है ।

M



टेबल - 3

राशि रूपये में

क्रमांक	योजना का नाम	विकल्प 2			
		मुख्य जिला मार्ग के सिंगल लेन की संघारण दर प्रति कि. मी./प्रति वर्ष	वसूल की जाने वाली राशि		
	प्रथम वर्ष		द्वितीय वर्ष	तृतीय वर्ष	
1	मंडी निधि एवं सी. आर.एफ.	19,038.00	57,114.00	38,076.00	19,038.00
2	फास्ट ट्रेक	7,737.00	23,211.00	15,474.00	7,737.00

प्रकरण क्रमांक - 2

इस हेतु वसूल की जानेवाली राशि आदि टेबिल क्रमांक 3 में वर्णित है ।

टेबल क.4

राशि रूपये में

क्रमांक	योजना का नाम	विकल्प - 2					
		मुख्य जिला मार्ग के सिंगल लेन की संघारण दर प्रति कि.मी./प्रति वर्ष	प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष	तृतीय वर्ष	चतुर्थ वर्ष	पंचम वर्ष
1	मंडीनिधि एवं सी. आर.एफ.	19,038/-	95190.00	76152.00	57114.00	38076.00	19038.00

अतः राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया कि जिन मार्गों का उन्नयन करने हेतु प्रशासकीय स्वीकृति जारी की जाती है, उन मार्गों हेतु निम्नानुसार कार्यवाही की जावे :-

क. विकल्प क्रमांक-1 के मार्गदर्शी सिद्धांतों के आधार पर संबंधित कार्यपालन यंत्री मार्ग की वास्तविक स्थिति के आधार पर संबंधित ठेकेदार से समझौता वार्ता करें तथा विकल्प क्रमांक-2 को न्यूनतम सीमा के अंदर अंतिम निर्णय लेकर वसूली कर अनुबंध की कंडिका - 14 के तहत अनुबंध समाप्त किया ।

12

प्र

1

2

3

4 र

5 से

परफारमे
के राज
4-5-20
ठेकेदार
आवश्यकत
किये गये
:-

इस हेतु वसू